

कार्यालय आदेश सं०-325/2021

चिकित्सीय आधार पर विकोटिकृत कर्मचारी का वैकल्पिक पद पर समाहरण हेतु नामित की अनुराशा पर अमरेप्र-1 महोदय द्वारा अनुमोदनोपरान्त सकाधि-111/सोनपुर के टिप्पणी सं०- दिनांक-11.06.2021 के आलोक में निम्नलिखित चिकित्सा विकोटिकृत कर्मचारी को उनके नाम के सामने अंकित समाहरण पर वैकल्पिक पद खलारी(कार्य)/इंजीनियरिंग विभाग में समान वेतनमान एवं वेतन पर तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है।

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम, पदनाम, कार्यरत स्टेशन	पे लेवल/ बेसिक पे	विकोटिकृत होने की तिथि एवं विकोटिकृत पश्चात् चिकित्सा श्रेणी	Standign Committee द्वारा अनुरांशित पद
01	श्री मुकेश कुमार TM-IV/Engg/GRL Under SSE/P.Way/GRL	पे लेवल-01 ग्रेड पे-1800 बेसिक पे-20300/-	29.10.2020 Fit in B-2 & Below without Glass.	Khalasi (Works) GP-1800, Level-01 Engineering Department Under SSE/W/HO/HJP

एक कर्मचारी मात्र।

नोट-

- पदस्थापना आदेश जारी होने के पश्चात सृजित विशेष अधिसंख्य पद के समाप्त होने के कारण संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा समायोजित किये गये नये पद एवं पदस्थापित स्थान पर योगदान हेतु विरमित नहीं किया जाता है तो सारी जिम्मेवारी संबंधित पर्यवेक्षक की होगी।
- पदस्थापना आदेश जारी होने की तिथि से सृजित विशेष अधिसंख्य पद स्वतः समाप्त माना जायेगा। आदेश जारी होने के बाद यदि कर्मचारी द्वारा पदस्थापित किये गये पद पर योगदान नहीं दिया जाता है, तो उस अवधि को अनुपस्थित माना जाएगा और अनुपस्थित अवधि को उनके अवकाश खाते में सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार नियमन किया जायेगा।
- साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि समाहरण/पदस्थापना आदेश जारी होने के बाद उसी तिथि को संबंधित स्थापना लिपिक का जिम्मेवारी बनता है कि उपर्युक्त पूर्व पर्यवेक्षक जिसके अधीन सृजित विशेष अधिसंख्य पद पर कार्य कर रहे हैं, को स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि मैसेज मिलते ही उसी समय संबंधित विकोटिकृत कर्मचारी को सृजित विशेष अधिसंख्य पद के कार्यमुक्त करते हुए नये समाहरित/पदस्थापित पद पर योगदान दिये जाने हेतु विरमित किया जाए अन्यथा उपर्युक्त नोट (01) का अनुपालन नहीं किया जाना माना जायेगा। इसका अनुपालन काड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त पर वमई(समन्वय)/सोन० का आदेश प्राप्त है।

(रवि कुमार पंडित)  
सकाधि-11

कृते मंरेप्र(कार्मिक)/सोनपुर  
दिनांक-18.06.2021

सं०-का/256/5/इंजी०/जी-259/सोन/16

01. वमई(समन्वय), वमविप्र/सोनपुर

02. वमई(दक्षिण)/मुजफ्फरपुर-कृष्या कर्मचारी को उचित पहचान के साथ वमई(लाईन)/सोनपुर कार्यालय को विरमित करना सुनिश्चित करें।

03. वमई(लाईन)/सोनपुर

04. वसेई/पथ/गोरौल-संबंधित कर्मचारी का सेवा पुस्तिका एवं फोल्डर वमई(लाईन)/सोनपुर कार्यालय को उपलब्ध कराये।

05. वसेई/कार्य/मुख्यालय/हाजीपुर

06. संबंधित कर्मचारी, अभिलेख प्रति एवं कार्यालय आदेश प्रति।

07. एमवीपी/सेल/सोनपुर

08. मंडल मंत्री-ईसीआरकेयू अजा-अजजा एवं ओबीसी एशो० सोनपुर।

कृते मंरेप्र(कार्मिक)/सोनपुर